उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्या : 80 /02/डी0आर0/प्रा0शि0वि0/सेवा–03/2021–22 दिनांकः 09 अगस्त, 2024

शुद्धि–पत्र

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **प्रवक्ता, राजकीय पॉलीटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (समूह 'ख') परीक्षा–2024** के अंतर्गत् सीधी भर्ती के रिक्त 526 पदों पर चयन हेतु दिनांक 23.07.2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के बिंदु सं0–02(ix) (पदनाम– प्रवक्ता, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग) के उप बिंदु–4 एवं बिंदु सं0–02(xv) में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

1. उक्त विज्ञापन में बिंदु सं0–02(ix) के उप बिंदु–4 में उल्लिखित **शैक्षिक अर्हता** को शासन के पत्र सं0 859, दिनांकः 08.08.2024 के क्रम में संशोधित शैक्षिक अर्हता– **''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंजीनियरिंग संस्थान से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग/एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी में प्रथम श्रेणी के साथ बी0ई0/बी०टेक0/बी0एस0 अथवा समकक्ष उपाधि''** पढ़ा जाय।

2. उक्त विज्ञापन के बिंदु सं0–02(xv) के अंतर्गत **प्रवक्ता, माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस** के विज्ञापित 07 पदों के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रेषित पत्र सं0 836, दिनांकः 02.08.2024 द्वारा **प्रवक्ता, माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस** के अधियाचन को मूलरूप में प्रत्यावर्तित किये जाने संबंधी अनुरोध के आलोक में मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में **प्रवक्ता, माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस** के विज्ञापित 07 पदों को प्रश्नगत चयन से पृथक किया जाता है।

उक्त विज्ञापन के बिन्दु संख्या–02(ix) के उपबिंदु–4 एवं बिंदु सं0–02(xv) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।